

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/सी-20/से0नि0/2018/
आदेश

दिनांक:-

निम्नलिखित महिला स्वास्थ्य दर्शिका द्वारा 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को मध्यान्ह पश्चात राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र. स.	कर्मचारी का नाम	संबंधित प्रशासनिक अधिकारी	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	सविता महिला स्वास्थ्य दर्शिका	जोधपुर	12.12.58	20.01.86	31.12.18
2	मोली वी.ए. महिला स्वास्थ्य दर्शिका	हनुमानगढ़	20.3.59	25.06.84	31.03.19
3	कमला ओझा महिला स्वास्थ्य दर्शिका	जोधपुर	03.03.59	09.07.87	31.03.19
4	सुशीलाम्माल ए.के. नर्स -2	हनुमानगढ़	21.05.59	31.10.81	31.05.19
5	उषा सी. एस. महिला स्वास्थ्य दर्शिका	जयपुर	10.05.59	26.11.83	31.05.19
6	बीना सिंह, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	धौलपुर	07.12.58	15.11.86	31.12.18
7	जगदम्मा जी., नर्स-2	बीकानेर	28.05.59	09.02.84	31.05.19
8	विजयम्मा सी.पी., महिला स्वास्थ्य दर्शिका	चित्तौड़गढ़	20.05.59	25.06.84	31.05.19
9	थनकामणी पी0के0, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	जयपुर	07.03.59	29.09.84	31.03.19
10	तुलसी बाई अम्मा, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	भीलवाडा	27.04.59	07.04.82	30.04.19
11	सुजान कुमारी, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	करौली	01.01.59	16.09.79	31.12.18
12	अनम्मा ए.जे., महिला स्वास्थ्य दर्शिका	करौली	05.04.59	28.05.83	30.04.19

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्न कार्मिकों के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

sd

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/सी-20/से0नि0/2018/1560

दिनांक:- 6/11/2018

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
2. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक महाविद्यालय एवं सामूहिक चिकित्सालय संघ, राज0।
3. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
4. सम्बन्धित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
5. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
7. आदेश/निजी पत्रावली।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर